पत्रांक–भवन/बजट–86–योजना (पिछड़ा एवं अति पिछड़ा)–01/2023–24..... 2910 (31)

बिहार सरकार

भवन निर्माण विभाग

सेवा में,

**महालेखाकार (ले. एवं हक) बिहार,**
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक– 24/3/26

विषय– पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की कार्यो को कार्यान्वित किए जाने हेतु **वित्तीय वर्ष 2025–26** में कुल **₹ 21,54,828/–(इक्कीस लाख चौवन हजार आठ सौ अठाईस रूपए)** मात्र के व्यय की स्वीकृति।

आदेश– स्वीकृत।

कार्यपालक अभियंताओं द्वारा PMIS के माध्यम से समर्पित ऑनलाईन अधियाचना पर संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता द्वारा की गयी अनुशंसा के आलोक में पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की कार्यो को कार्यान्वित किए जाने हेतु निम्न विवरणीनुसार कुल **₹ 21,54,828/–(इक्कीस लाख चौवन हजार आठ सौ अठाईस रूपए)** मात्र का व्यय की स्वीकृति **वित्तीय वर्ष 2025–26** में प्रदान की जाती है:–

| क्रमांक | प्रमंडल का नाम | अधियाचना आई०डी० | योजना का नाम | स्वीकृत्यादेश संख्या/दिनांक | वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए व्यय हेतु स्वीकृत राशि |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | भवन प्रमंडल, किशनगंज | 30296 | Repair work in other Backward class (O.B.C) Hostel at Day Market in Kishanganj for the year 2023-24 | 97/ 25.08.23 | ₹ 1,16,593/- (एक लाख सोलह हजार पाँच सौ तिरानवे रूपये) |
| 2. | भवन प्रमंडल, सीतामढ़ी | 30182 | राज्य स्कीम अन्तर्गत कर्पूरी ठाकुर छात्रावास, सीतामढ़ी का मरम्मति/जीर्णोद्धार कार्य | 42/ 09.06.25 | ₹ 20,38,235/- (बीस लाख अड़तीस हजार दो सौ पैंतीस रूपये) |
| **योगः-** | | | | | **21,54,828/–** |

**(इक्कीस लाख चौवन हजार आठ सौ अठाईस रूपये)**

2. उक्त कार्य पर राशि का व्यय मांग संख्या–03 के अन्तर्गत मुख्यशीर्ष-2059-लोक निर्माण कार्य-उपमुख्य शीर्ष-80-सामान्य-लघुशीर्ष-053- रखरखाव तथा मरम्मत-उपशीर्ष-0101- पिछड़े वर्ग एवं अत्यंत पिछड़े वर्ग के लिए आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास आदि भवनों का अनुरक्षण एवं मरम्मत विपत्र कोड-03-2059800530101 के विषयशीर्ष-27-लधु कार्य-0101.27.02 अनुरक्षण एवं मरम्मत में उपबंधित राशि से **वित्तीय वर्ष 2025–26** में किया जायेगा।
3. इस राशि के निकासी एव व्ययन पदाधिकारी संबंधित कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग होंगे।
4. इस राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार से की जायेगी।
5. प्रस्ताव में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
6. स्वीकृत राशि के विरूद्ध आवंटन की कार्रवाई सी.एफ.एम.एस. के माध्यम से की जा रही है।

24/3/26

(राजेश कुमार सिंह)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक– 2910 (31) पटना, दिनांक– 24/3/26

**प्रतिलिपि**–सचिव (व्यय), वित्त विभाग, बिहार, पटना/संबंधित जिला पदाधिकारी/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/3/26

सरकार के अपर सचिव।